



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001
email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साइट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2019/ 6329

दिनांक:- 04.07.2019

--:कार्यवाही विवरण:--


भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 04/2019 वीं बैठक दिनांक 10.06.2019 की बैठक आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर है।


एजेण्डा संख्या	जोन	विषय	निर्णय
01		भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 03/2019 वीं बैठक दिनांक 22.05.2019 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि	समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।
02	दक्षिण	राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी सांगरिया के खसरा संख्या 226, 227, 228 वगैरह के वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर भवन मानचित्र समिति (एल.पी बी.पी) की 04/2019 वीं बैठक दिनांक 10.06.2019	समिति को अवगत करवाया गया कि :- विवेक विहार योजना जोधपुर विकास प्राधिकरण की अनुमोदित योजना है। उक्त योजना के विभिन्न सेक्टर में व्यवसायिक उपयोग हेतु ब्लॉक आरक्षित है। उक्त योजना में भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की बैठक दिनांक 27.02.2019 को सात व्यवसायिक ब्लॉक व बैठक दिनांक 10.04.2019 को 10 ब्लॉक व बैठक दिनांक 22.05.2019 को 10 ब्लॉक के ले आउट अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया था। उक्त के क्रम में अभियांत्रिकी शाखा से प्राप्त 07 ब्लॉक आई/1/160, आई/2/160, आई/3/160, आई/1/60, एच/4/160, एच/4/60, एच/2/60 की मौका रिपोर्ट व विवेक विहार योजना आवाप्तसुदा भूमि आवंटन की लॉटरी अनुसार व विवेक विहार योजना के अनुमोदित मानचित्र अनुसार प्लानिंग कर मानचित्र तैयार किये गये हैं। प्रकरण ले-आउट प्लान समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त प्रकरण में ले-आउट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।
03	पश्चिम	राजस्व ग्राम बडला नगर लूणी के खसरा संख्या 469/2 रकबा 03.00.00 बीघा के फार्म हाउस प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री जगाराम पुत्र श्री केवलराम मेघवाल भवन मानचित्र समिति (एल.पी बी.पी) की 04/2019 वीं बैठक दिनांक 10.06.2019	समिति को अवगत करवाया गया कि :- <ul style="list-style-type: none">मास्टर प्लान की डी.सी.आर अनुसार 40 फीट व उससे अधिक पहुँच मार्ग पर फार्म हाउस अनुज्ञेय किये जा सकते हैं, जबकि प्रकरण में 30 फीट रास्ता उपलब्ध है।जोन चैकलिस्ट अनुसार पहुँच मार्ग पडोस में स्थित गैर अनुमोदित कृषि भूमि आवासीय योजना में से है। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त आवेदित भूमि तक आवश्यक न्यूनतम 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
04	पूर्व	राजस्व ग्राम जोधपुर-पूर्व के खसरा संख्या 632/9 रकबा 31.15.05 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री परीक्षित सिंह पुत्र श्री राव राजा हुकमसिंह भवन मानचित्र समिति (एल.पी बी.पी) की 04/2019 वीं बैठक दिनांक 10.06.2019	समिति को अवगत करवाया गया कि :- <ul style="list-style-type: none">पूर्व बैठक दिनांक 03.10.2018 में प्रस्तुत एजेण्डा के क्रम में नियमानुसार संबंधित विभागों से रिपोर्ट/अनापत्ति/टिप्पणी प्राप्त करते हुए अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।प्रकरण के संबंध में श्री यशपाल सिंह एवम श्री केशव बटवडा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के क्रम में नियमानुसार जांच उपरान्त अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।तहसीलदार राजस्व से स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श पश्चात् निम्नलिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया :- <ul style="list-style-type: none">आवेदित भूमि में विधिवत् बंटवाडा नहीं है।


3/11
[Handwritten signatures and initials]


			<ul style="list-style-type: none"> • तहसीलदार जोधपुर द्वारा अवगत करवाया गया है कि दिनांक 24.12.2018 का निर्णय जिसके तहत आपको खातेदारी मिली, उक्त निर्णय की राजस्व मंडल में अपील की जा चुकी है तथा प्रकरण न्यायालय में लम्बित है। • दिनांक 24.12.2018 के उक्त निर्णय के मूल तथ्यों को माननीय उच्च न्यायालय में डी.बी.सिविल रिट पीटिशन संख्या 17359/2018 राहुल चौधरी बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में चुनौती दी गयी है। अतः प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। • प्रकरण में वायुसेना जोधपुर के पत्र क्रमांक ए.एफ.एस. जे/52068/1/वी.वी.के.एस दिनांक 12.11.2018 अनुसार ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 632/9 की भूमि प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित है।
05	पूर्व	<p>राजस्व ग्राम जोधपुर-पूर्व के खसरा संख्या 632/9 रकबा 23.00.00 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- कुमारी जयनन्दिनी सिंह पुत्री स्व श्री राव राज</p> <p>भवन मानचित्र समिति (एल.पी बी.पी) की 04/2019 वीं बैठक दिनांक 10.06.2019</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • पूर्व बैठक दिनांक 03.10.2018 में प्रस्तुत एजेण्डा के क्रम में नियमानुसार संबंधित विभागों से रिपोर्ट/अनापत्ति/टिप्पणी प्राप्त करते हुए अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। • प्रकरण के संबंध में श्री यशपाल सिंह एवं श्री केशव बटवडा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के क्रम में नियमानुसार जांच उपरान्त अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। • तहसीलदार राजस्व से स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरांत अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श पश्चात् निम्नलिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • आवेदित भूमि में विधिवत् बंटवाडा नहीं है। • तहसीलदार जोधपुर द्वारा अवगत करवाया गया है कि दिनांक 24.12.2018 का निर्णय जिसके तहत आपको खातेदारी मिली, उक्त निर्णय की राजस्व मंडल में अपील की जा चुकी है तथा प्रकरण न्यायालय में लम्बित है। • दिनांक 24.12.2018 के उक्त निर्णय के मूल तथ्यों को माननीय उच्च न्यायालय में डी.बी.सिविल रिट पीटिशन संख्या 17359/2018 राहुल चौधरी बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में चुनौती दी गयी है। अतः प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। <p>प्रकरण में वायुसेना जोधपुर के पत्र क्रमांक ए.एफ.एस. जे/52068/1/वी.वी.के.एस दिनांक 12.11.2018 अनुसार ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 632/9 की भूमि प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित है।</p>

आद्युक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(गौरव अग्रवाल)
आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर


(ओ.पी. बुनकर)
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर


(ए.के. गुप्ता)
निदेशक अभियांत्रिकी
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



(श्रवणसिंह राजावत)
उपायुक्त (उत्तर/पश्चिम)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर


(ओ.पी. विशनोई)
उपायुक्त (पूर्व/दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर


(पी.आर. बेनीवाल)
निदेशक आयोजना एवं सदस्य सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 04/2019 वीं बैठक दिनांक 10.06.2019 की बैठक आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री गौरव अग्रवाल, आयुक्त, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्री ओ.पी. बुनकर, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर | सदस्य |
| 3. श्री ए.के. गुप्ता, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री श्रवणसिंह राजावत, उपायुक्त (उत्तर/पश्चिम) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्री ओ.पी. विश्णोई, उपायुक्त (पूर्व/दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 6. श्री पी.आर. बेनीवाल निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |



04/07
निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (एल.पी.)

क्रमांक :- F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी)/का.वि./2019/ 6329-6337

दिनांक:- 04.07.2019

प्रतिलिपि :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी श्री हेमराज को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करें।


04/07
निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (एल.पी.)